न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 67/2022
दायर दिनांक :– 11.07.2022

अनवान

श्रीमति किरण कँवर पत्नी शिवराज सिंह राजपूत निवासी जालमपुरा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. शंकर पिता सुरज्या रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
2. लादू पिता रतना रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
3. चन्द्रा पिता रतना रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
4. शैतान पिता सुरज्या रेगर उम वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
5. भागचन्द पिता सुरज्या रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री महावीर सनाढय, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 29.09.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का आमल्दा भू.अभि. नि. क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा मे आराजी संख्या 3 रकबा 3.8880 हेक्टेयर गें.मु.खडा आराजी संख्या 3 रकबा 3.8880 हेक्टेयर बीढ कृषि भूमी वादीया किरण कँवर पत्नी स्व. शिवराजसिंह 1/3 हिस्सा अजीतसिंह पुत्र शिवराजसिंह हिस्सा 1/3 अमितसिंह पुत्र शिवराजसिंह हिस्सा 1/3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है वादीया हि कृषि भूमी की देखरेख करती आ रही है प्रतिवादी सं. एक से लगायत 5 तक वादीया की कृषि भूमी के पडोसी है जो कि शक्ति के बल पर वादीया की संयुक्त खातेदारी की भूमी को छीनना चाहते है। उक्त वर्णित कृषि भूमी पर प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 5 धीरे धीरे अवैध अतिचार कर अतिक्रमण करना शुरूकर दिया वादीया ने अवैध अतिक्रमण नही करने बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन किया लेकिन नही माने तथा लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये । उक्त वर्णित कृषि भूमी को वादीया ने नियमानुसार पत्थरगढी करवाने बाबत आवेदन किया जिस पर भू. अभि. निरीक्षक अमरगढ द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर सूचित कर दिनांक 20.5.2022 को वादीया की कृषि भूमी खसरा सं. 3 की मौके पर पत्थरगढी की गई एवं गवाहो के सामने पत्थरगढी मौका परचा बनाया गया जिसमे भी वादीया की लगभग 10 बिस्वा कृषि भूमी पर प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 5 का अवैध अतिक्रमण पाया गया था जिसको नियमानुसार प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीया को दिलवाना आवश्यक व न्यायोचित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमी मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 द्वारा वादीया की कृषि भूमी मे से अवैध अतिक्रमण को हटवाने बाबत वादीया ने निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 5 ने अपना अवैध अतिक्रमण

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

हटवाने से साफ मना कर दिया और प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम तुम्हारी कृषि भूमी से अवैध कब्जा नही हटवायेगे ओर यह भी धमकी दी कि हम वादीया व उसके परिवार वालो के विरूद्व झूठे एस.सी.एस.टी. के मुकदमे मे फसा देगे। दिनांक 20.5.2022 को वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमी मे से प्रतिवादीगणो द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाना आवश्यक है तथा वाद कब्जा दिलवाने वादीया की कृषि भूमी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे ना अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त वर्णित कृषि भूमी मे प्रतिवादीगणो केद्वारा किये गये अवैध अतिकमण कब्जा से वादीया को जो नुकसान हुआ लगान का 50 गुणे से शासित कर वादीया को दिलवाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या एक से 5 को सिविल कारावास से दण्डित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त वर्णित कृषि भुमी पर प्रतिवादी संख्या एक से 5 द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण कब्जा को हटवाने एवं कब्जा वादीया को दिलवाने की डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित फरमावे। वाद कब्जा दिलवाने वादीया के कृषि भूमी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी स्वय न करे न अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक बादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित फरमावे। उक्त वर्णित कृषि भूमी मे प्रतिवादीगणो द्वारा अवैध अतिचार/अतिक्रमण करने से वादीया को हुये नुकसान प्रतिवादीगणों से दिलवाने की डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमावे। उक्त वर्णित कृषि भूमी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये अवैध अतिक्रमण से प्रतिवादीगण संख्या एक से 5 को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 20.05.2022 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी किरण कॅवर पी. डब्ल्यु 1, अजीत सिंह पी. डब्ल्यु 2, के ब्यान करवाये गये, जिसे शा० फा० किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादी आ. न. 3 कुल किता 01 रकबा 3.6880 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार / उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 3 कुल किता 01 रकबा 3.8880 हैक्टेयर कृषि भुमि वादी के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। आ0 स0 3 कुल किता 01 रकबा 3.8880 हैक्टेयर में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि खसरा नं. 3 कुल किता 01 रकबा 3.8880 हैक्टेयर में से 0–10 बीघा भू भाग कृषि भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का आमल्दा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3 रकबा 3.8880 हैक्टेयर में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति किरण कँवर पत्नी शिवराज सिंह राजपूत निवासी जालमपुरा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. शंकर पिता सुरज्या रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
2. लादू पिता रतना रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
3. चन्द्रा पिता रतना रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
4. शैतान पिता सुरज्या रेगर उम वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
5. भागचन्द पिता सुरज्या रेगर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 67/2022

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री महावीर सनाढय का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का आमल्दा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3 रकबा 3.8880 हैक्टेयर में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner